## न्यायालयः—सिविल न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी— धन कुमार कुड़ोपा)

<u>व्यवहार वाद कं. 17ए/16</u> <u>संस्थापित दिनांक 30-04-16</u> फाईलिंग नं. 233504000142016

- इंदल व0 बोन्दरया उम्र 85 वर्ष, जाति चमार, निवासी खापाखतेड़ा, तह0 आमला, जिला बैतूल,
- 2. देवदास व0 बोन्दरया, उम्र 72 वर्ष, जाति चमार, निवासी–शंकर नगर भग्गृढाना, बैतूलगंज, बैतूल, जिला बैतूल (म०प्र०),
- 3. गंगाधर व0 बोन्दरया, उम्र 62 वर्ष, जाति चमार, निवासी शोभापुर पाथाखेड़ा, तह0 आमला, जिला बैतूल, (म0प्र0),
- 4. श्रीमित सुनिता व0 बोन्दरया पत्नि मनोहरलाल सोनबर्से, जाति चमार, निवासी प्लॉट नं.383 गणेशनगर नागपुर (महाराष्ट्र),

----<u>वादीगण.</u>

## -: बनाम :-

- 1. सर्वसाधारण,
- 2. रामदास व0ध्यारी, उम्र 65 वर्ष, जाति चमार,
- 3. कुसमी व0ध्यारी, उम्र 73 वर्ष, जाति चमार,
- सुगवंती व0ध्यारी, उम्र 50 वर्ष, जाति चमार,
  प्रति.कं.2 से 4 समस्त निवासी—खापाखतेड़ा, तह0 आमला, जिला बैतूल,
- 5. म.प्र.शासन, द्वारा कलेक्टर बैतूल, जिला बैतूल (म०प्र०)

---- <u>प्रतिवादीगण.</u>

## -: <u>वार्षिक नेशनल लोक अदालत आदेश</u> :-(आज दिनांक 12/11/16 को पारित)

- 1— वादीगण ने विवादित भूमि मौजा खापा खतेडा की स्थित भूमि खसरानं 363/1 रकबा 0.046 हे0 भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण सभी का समान रूप से अधिकार है और उक्त भूमि के भूमि स्वामी होने के कारण आधिपत्य की पुष्टि बाबत यह दावा प्रस्तुत किया है।
- 2— वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिल शरीकत कृषि भूमि ग्राम खापाखतेड़ा में स्थित पुराना ख.नं.625 एवं 576 है, जिनका नवीन ख.नं.363/1 एवं 363/2 है, जिनका रकबा क्रमशः 0.046 एवं 0.019 हे0 भूमि राजस्व भू—अभिलेखों में दर्ज है, जिसमें वादीगण के पिता बोन्दरया एवं दादा रोन्या वल्द सावन्या का नाम वर्ष 1947—1948 के भू—अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज नहीं होने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी वादीगणों का नाम दर्ज नहीं जबिक वादीगणों एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज सावन्या वल्द टेमर चम्हार के वारसान है, सावन्या वल्द

टेमर चम्हार का वर्ष-1917-1918 के भू-अधिकार अभिलेखों में नाम दर्ज है। वर्ष 1947–48 के अधिकार अभिलेखों में वादीगणों के दादा रोन्या वल्द सावन्या के नाम के सीनि पर ध्यारी उर्फ बिहारी का नाम दर्ज है, जबकि ध्यारी उर्फ बिहारी तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति है। रोन्या का नाम दर्ज होना था, वह ध्यारी उर्फ बिहारी का नाम दर्ज राजस्व अधिकारियों की भूल के कारण उक्त त्रुटि दर्ज हो गई है, जबिक रतन, छतन और रोन्या एक ही मूल पुरूष सावन्या की संतानें है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य जिन आधारों पर आपसी राजीनामा की सहमति बनी है, वे इस प्रकार हैं-वादीगण एवं प्रतिवादीगण इस बात की घोषणा चाहते है कि वर्ष-1947-48 के भू-अधिकार अभिलेख मिशल बन्दोबस्त राजस्व अधिकारियों की भूलवश दर्ज नाम ध्यारी उर्फ बिहारी के सीीन पर रोन्या पिता सावन्या दर्ज कर उसके फौती आधार पर वर्ष-1971-72 के राजस्व रिकार्ड में रोन्या के वारसान बिहारी उर्फ ध्यारी तथा बोन्दरया के वारसान जो वादीगण है, उनका नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाये।, रोन्या मूल पुरूष सावन्या के खानदान का होकर सावन्या का पुत्र है तथा वादीगण रोन्या के नाती होकर चम्हार जाति के है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण पुराना ख.नं.625, 576 जिनका वर्तमान ख.नं.363 / 1 एवं 363 / 2 के भूमि स्वामी तथा आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि पर समान रूप से अधिकार भी है। समान अधिकार होने से उनकी आधिपत्य की पुष्टि की जावे तथा जो भी उचित समझे वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अन्य अनुताष दिलवाया जावे। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर उभयपक्षों के मध्य ह्ये राजीनामा शर्तों के आधार पर उक्त आशय की डिकी प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

- 3— वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ने आज आयोजित वार्षिक नेशनल लोक अदालत के माध्यम से स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा स्वीकार किया है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र खातरकर द्वारा की गई।
- 4— राजीनामा आवेदन पत्र विधिपूर्ण होने से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। राजीनामा आवेदन के अनुसार प्रकरण का निराकरण करते हुये निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—
- 1. यह घोषित किया जाता हैं कि उभयपक्ष वर्ष—1947—48 के भू—अधिकार अभिलेख मिशल बन्दोबस्त राजस्व अधिकारियों की भूलवश दर्ज नाम ध्यारी उर्फ बिहारी के स्थान पर रोन्या पिता सावन्या दर्ज कर उसके फौती आधार पर वर्ष—1971—72 के राजस्व रिकार्ड में रोन्या के वारसान बिहारी उर्फ ध्यारी तथा बोन्दरया के वारसान जो वादीगण है, उनका नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाये।, रोन्या मूल पुरूष सावन्या के खानदान का होकर सावन्या का पुत्र है तथा वादीगण रोन्या के नाती होकर चम्हार जाति के है।
- 2. यह घोषित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण पुराना ख.नं. 625, 576 जिनका वर्तमान ख.नं. 363 / 1 एवं 363 / 2 के भूमि स्वामी तथा आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि पर समान रूप से अधिकार भी है।

- 3. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र डिक्री का अभिन्न भाग होगा।
  - 4. उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय नियमानुसार वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया । मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया ।

(धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 आमला, जिला बैतूल,म.प्र. (धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 आमला, जिला बैतूल,म.प्र.